



Neutral Citation No. - 2026:AHC:12826

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या 2706/2024

सूर्य प्रकाश मिश्रा

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : धनंजय सिंह, सत्येंद्र नारायण सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सत्येंद्र नारायण सिंह और राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल की दलीलें सुनी गईं।
2. दोनों पक्षों के अधिवक्तागण ने संयुक्त रूप से यह बयान दिया है कि वे आगे कोई शपथपत्र दाखिल नहीं करना चाहते हैं, अतः पक्षों की सहमति से रिट याचिका पर नए सिरे से निर्णय लिया जा रहा है।
3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उनके पिता सुरेश नारायण मिश्रा, जो एक कांस्टेबल थे, का 18.12.2002 को सेवा के दौरान निधन हो गया। उस समय याचिकाकर्ता नाबालिग था और वह 28.07.2014 को बालिग हुआ। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि उसकी माता ने याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए 06.01.2010, 22.08.2013, 30.07.2015 और 14.12.2015 को आवेदन किया था। याचिकाकर्ता ने बालिग होने के बाद 07.09.2018 को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया और अनुकंपा नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के दावे को सरकार ने 09.06.2022 को अस्वीकार कर दिया।
4. इसी को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर की है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि चुनौती दिए गए आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता, विशेषकर तब जब याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु के समय वह नाबालिग था। वह वर्ष 2014 में बालिग हुआ और माता की बीमारी तथा अन्य पारिवारिक मजबूरियों के कारण उसने अनुकंपा नियुक्ति हेतु 07.09.2018 को आवेदन दिया। उनका निवेदन है कि याचिकाकर्ता का परिवार अत्यंत विकराल स्थिति में है और उनके लिए गुजारा करना लगभग असंभव होता जा रहा है। उनका यह भी निवेदन है कि याचिकाकर्ता के दावे को विलंब के आधार पर खारिज करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, विशेषकर तब जब कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं जिनके कारण याचिकाकर्ता अनुकंपा नियुक्ति का दावा करने में असमर्थ रहा।

6. दूसरी ओर, विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल का तर्क है कि अनुकंपा नियुक्ति भर्ती के सामान्य नियम का अपवाद है, हालांकि, यह देखना होगा कि परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद परिवार की आर्थिक तंगी थी या नहीं। हालांकि, उनके अनुसार, माता शारीरिक रूप से स्वस्थ थीं और अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त कर सकती थीं, लेकिन वह अपने बेटे के लिए नौकरी चाहती थीं और याचिकाकर्ता 2014 में बालिग होने के बाद भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए चार साल से प्रतीक्षा कर रहा है।

7. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

8. तथ्य विवादित नहीं हैं। यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता के पिता की सेवा के दौरान 18.12.2002 को मृत्यु हो गई थी और याचिकाकर्ता पिता की मृत्यु के समय नाबालिग था, क्योंकि उसकी जन्मतिथि 28.07.1996 थी और वह 28.07.2014 को बालिग हुआ था। याचिकाकर्ता के स्वयं के कथनानुसार, याचिकाकर्ता की माता ने स्वयं रोजगार नहीं लिया था, बल्कि याचिकाकर्ता के लिए रोजगार चाहती थीं। यह भी निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता वर्ष 2014 में, यानी 28.07.2014 को बालिग हो गया था और याचिकाकर्ता ने 07.09.2018 को अनुकंपा नियुक्ति का दावा किया था। यह विधि का एक स्थापित सिद्धांत है कि अनुकंपा नियुक्ति मात्र मांगने मात्र से नहीं दी जा सकती, क्योंकि इस लाभ को प्राप्त करने के लिए परिवार की आर्थिक स्थिति और देरी का प्रश्न भी महत्वपूर्ण होता है। दिनांक 12.05.2020 की पेपर बुक के पृष्ठ 50 पर मौजूद दस्तावेज़ से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता की माता ने अनुकंपा नियुक्ति का विकल्प

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नहीं चुना था और इसके अलावा रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि याचिकाकर्ता के नियंत्रण से बाहर कोई ऐसी परिस्थितियाँ थीं जिनके कारण उसने अनुकंपा नियुक्ति का दावा नहीं किया।

9. तदनुसार, चुनौती दिए गए आदेश में कोई खामी नहीं है, इसलिए रिट याचिका **खारिज** की जाती है।

19 जनवरी 2026

ए.प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।